# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 73/2017

अमीचन्द पुत्र दुलीचन्द जाति कुम्हार निवासी चक 9 टी.के.डब्लयू. खीचड़ावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थी

बनाम

1. काशीराम पुत्र पूराराम जाति जाट निवासी गणेशगढ़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सादुलशर।

———रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सादुलशहर

दिनांक 24.04.2017

उपस्थितः—

श्री मोहनलाल माहर अभिभाषक अपीलार्थी

श्री मनोहरलाल सहारण अभिभाषक रेस्पो.

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 22.01.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/अपीलार्थी ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष रा.का.अ. की धारा 53, 188 का पेश कर वाद पत्र की मद संख्या 2 से 4 में वर्णित भूमि में अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करने एवं प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया कि प्रतिवादी वादी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे। प्रतिवादी ने जबाव दावा पेश कर वाद खारिज करने का निवेदन किया।

22/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

दावा एवं जबाव दावा के आधार पर अधी. न्यायालय ने अनुतोष सहित 6 वाद बिन्दु कायम किये। सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 24.04.2017 को वादी का वाद खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध वादी/अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों एवं वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दावा एवं जबाव दावा के आधार पर तनकीयात कायम की गई थी लेकिन किसी भी तनकी का निर्णय नहीं किया गया है। अधी. न्यायालय में विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया था उपलब्ध रेकार्ड से साबित था लेकिन अधी.न्यायालय ने बिना किसी आधार के वाद को खारिज कर दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने आरआरटी 2016(1) पेज 277 की नजीर पेश की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में मुख्य रूप से जबाव दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि का संयुक्त खाता नहीं है सभी पक्षकर अपने-अपने हिस्से की भूमि पर काबिज हैं एवं पूर्व में पक्षकारों के मध्य घरू बंटवारा हो चुका हैं अधी. न्यायालय ने वाद खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील रेस्पो. ने आरआरटी 2014 (1) पेज 509 की नजीर पेश की।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी सादुलशहर के निर्णय दिनांक 24.04.2017 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अधी.न्यायालय द्वारा खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा खारिज किया है जबकि संयुक्त खाते की भूमि का बंटवारा व बंटवारे में प्राप्त होने वाली भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी करना विधिक होने से अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

22/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अपीलाधीन आदेश का उद्‌भव स्त्रोत पूराराम पुत्र वीरूराम जिसके पास दो मुरब्बे भूमि यथा मु.नं. 135 ख.न. 29/214 की 23 बीघा 3 बिस्वा व मु.नं. 136 ख.न. 30/214 की 23 बीघा 2 बिस्वा भूमि थी जो उसकी मृत्यु उपरान्त उसकी वसीयत अनुसार मु.नं. 136 की भूमि उसके पुत्र ख्यालीराम के नाम devolve हुई तथा मु.न. 135 की भूमि उसके दूसरे पुत्र काशीराम के नाम devolve होकर अधी.न्यायालय के दस्तावेज साक्ष्य प्रदर्श ईएक्स ए–1 के अनुसार नामान्तरण संख्या 189 उपरोक्तानुसार भरा जाकर स्वीकृत होना पत्रावली पर उपलब्ध है जिसका अंकन संदर्भ जमाबन्दी अधी. न्यायालय का दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श ईएक्स ए–2 भी पत्रावली पर उपलब्ध है। इस स्पष्ट खाता विभाजन पश्चात मु.नुं. 136 की भूमि जो ख्यालीराम के नाम दर्ज थी अपीलांट अमीचन्द द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा कय की गई। रिकार्ड से प्रमाणित है। जिसका नामान्तरण सं. 209 द्वारा जमाबन्दी प्रदर्श ईएक्स–ए2 में होना प्रमाणित है परन्तु अधी. न्यायालय के दस्तावेजी साक्ष्य ईएक्स–1 जमाबंदी तहरीर में दोनों मुरब्बे अपीलांट व रेस्पों. के नाम संयुक्त रूप से दर्ज होकर दोनों मुरब्बों के रकबे अलग–अलग हिस्से के रूप में अपीलांट व रेस्पों. के नाम दर्ज है। परन्तु अधी. न्यायालय द्वारा बंटवारे का दावा खारिज कर विधिक भूल की है। जैसाकि मु.नं. 135 व 136 के रकबे एक बार विभाजित होकर पुनः एक ही खाते में संयुक्त रूप से दर्ज होकर जमाबन्दी तहरीर हुई है जिसे दुरूस्त किया जाना अधी. न्यायालय के क्षेत्राधिकार में था जो नहीं कर रिकार्ड का गलत विवेचन किया है यथा संदर्भ हिस्सा वादाधीन आराजी पूर्व में पूराराम पुत्र वीरूराम के नाम राजस्व रिकार्ड में चक 8 टी.के.डब्ल्यू. में मु.नं. 136 प.नं. 30/214 व मु.नं. 135 तथा प.नं. 29/214 कुल 46.05 बीघा रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज था। पूराराम की मृत्यु उपरांत पूराराम की वसीयत अनुसार प्रतिवादी के हिस्सा में मु.नं. 135 प.नं. 29/214 की 23.03 बीघा रकबा आया व मु.नं. 136 प.नं. 30/214 प्रतिवादी के भाई ख्यालीराम के हिस्सा में आया। वसीयत व वसीयत का इंतकाल नं. 189 दिनांक 20.03.2001 को हो चुका था एवं किला विशेष के आधार पर इन्तकाल दर्ज हुआ जिसके उपरांत वादी द्वारा किला

22/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विशेष के आधार पर ही आराजी खरीद की गई एवं जिसका इन्तकाल वादी के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड हुआ है। ऐसी सूरत में वादी की आराजी प्रतिवादी के संयुक्त खाता में होना नहीं माना जा सकता परन्तु इस विवेचन के विपरीत जमाबन्दी प्रदर्श ईएक्स–1 में दोनों मुरब्बों की भूमि वादी एवं प्रतिवादी के नाम संयुक्त रूप से होना प्रमाणित है। अतः अधी. न्यायालय का विवेचन illiteracy of Revenue law प्रदर्शित करता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.04.2017 अपास्त कर दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श ईएक्स–ए2 के अंकन बहाल कर विधिक आदेश पारित करने हेतु प्रकरण अधी. न्यायालय सादुलशहर को रिमाण्ड किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/1/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर